



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग  
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक- 1272 / 01 सेवा का अधिकार / 18  
सेवा में,

दिनांक- 12/12/2018

अपर मुख्य सचिव,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन,

विषय:- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समयबद्ध सेवार्यें प्रदान करने हेतु अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्र संख्या-469/01 सेवा का अधिकार/2018 दि0-31.05.2018।

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत शासन को 06 सेवाओं की सूची सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित करने हेतु प्रेषित करते हुए शासन स्तर से अनुमोदित कर सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून का अधिसूचित करने हेतु प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था किन्तु शासकीय आदेश अपेक्षित है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रेषित सूची को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित करते हुए शासन स्तर से अनुमोदित कर सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अधिसूचित करने हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- सूची।

( सत्येन्द्र शर्मा )

मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)

1. T  
Upload on  
Q1E'


12-12-18

(देवेन्द्र शाह)  
अधिशायी अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 17.05.2018 को मुख्य आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव की सूची

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1-ठेकेदारों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।					
	(i) श्रेणी 'A'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	वरिष्ठ स्टाफ आफिसर	मुख्य अभियन्ता स्तर- I(मु0)
	(ii) श्रेणी 'B'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) (सम्बन्धित)	मुख्य अभियन्ता स्तर- I(मु0)
	(iii) श्रेणी 'C'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)
	(iv) श्रेणी 'D'	प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सम्बन्धित)	03 माह	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बन्धित)
2-	रोड़ साइड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत N.O.C प्रदान करना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	01 माह	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
3-	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं / व्यक्तियों को सड़क खोदने की अनुमति देना (वाटर पाईप लाईन / सीवर लाईन इत्यादि हेतु)	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	07दिन	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
4-	नव निर्मित मोटर मार्गों का परिवहन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करना।	अधिशाली अभियन्ता (सम्बन्धित)	03 माह	अधीक्षण अभियन्ता	(क्षेत्रीय) मुख्य अभियन्ता
5-	मोटर मार्ग पर गड्ढों एवं पौट होल्स को स्थानीय निर्माण सामग्री (यथा मिट्टी एवं पत्थर) से समतल करना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	48 घण्टे	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
6-	मोटर मार्ग पर ट्रेफिक को बाधित करने वाली निर्माण सामग्री को हटवाना।	सहायक अभियन्ता (सम्बन्धित)	03 दिन	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

  
 (आर०सी० पुरोहित)  
 प्रभारी प्रमुख अभियन्ता